प्रेस नोट-दिनांक: 14.11.2024

थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

♦हरियाणा से बिहार राज्य के लिए तस्करी की जा रही कीमत लगभग 06 लाख रूपये की अबैध अंग्रेजी शराब बरामद, 04 शराब तस्कर गिरफ्तार।

♦534 बोतल में (कुल लगभग 400.5 लीटर) हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, दो लग्जरी वाहनों(01 क्रेटा व 01 टाटा सफारी स्ट्रोम) से की जा रही थी तस्करी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर,विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कन्दवा हरिनारायण पटेल व सर्विलांट/स्वाट टीम की मदद से रात्रि में बरहनी पुलिस चेकिंग पोस्ट से 02 लक्जरी वाहनों से कुल 534 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (मात्रा 400.5 लीटर) बरामद करते हुए 04 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 13.11.2024 की रात्रि थाना प्रभारी निरीक्षक कन्दवा हरिनारायण पटेल मय हमराह हे0का0 दिलीप राम व उ0नि० रविकांत चौहान चौकी प्रभारी रामपुर व हे0 का0 देवेंद्र सिंह व का० लक्ष्मण कुमार द्वारा बरहनी बैरियर पर संदिग्ध वाहन / व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि 02 चार पहिया वाहन जो जमानियां की तरफ से आ रही है। जिसमें अवैध अंग्रेजी शराब लदी है। जो चन्दौली के रास्ते बिहार जाने वाली है।
इस सूचना पर बरहनी बैरियर पर थाना कन्दवा व जनपदीय सर्विलांट/स्वाट टीम द्वारा संयुक्त रुप से बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग प्रारम्भ की गई। कुछ देर बाद जमानियां की तरफ से दो सफेद कलर की कार तेजी से आते हुए दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा उक्त दोनों कारो को रुकने का इशारा किया गया तथा बैरियर की सहायता से उक्त दोनों कारो को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। दोनों कारो में चालक सहित दो-दो लोग मौजूद है।
उपरोक्त दोनो वाहनों को चेकिंग करने पर वाहनों से कुल 534 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (जिसकी कुल मात्रा लगभग 400.5 लीटर) बरामद की गयी।

1-टाटा सफारी स्ट्रोम की चेकिंग किया गया तो सफारी पर वाहन संख्या (BR01PF3753) लगा है जिसका गेट व डिग्गी पीछे से खोलवाकर चेकिंग किया गया तो उसमें कार्टून से ढके अंग्रेजी शराब की बोतले भरी पड़ी मिली जिसे निकाल कर चेक किया गया तो कुल 300 बोतल अंग्रेजी शराब (जिसमें रॉयल स्टैग की 250 बोतल प्रत्येक में 750ML मात्रा 187.5 लीटर तथा ब्लेन्डर की 12 बोतल प्रत्येक 750 MLमात्रा 9.0 लीटर तथा रेड लेबल की 38 बोतल प्रत्येक 750ML मात्रा 28.5 लीटर) पाया गया वाहन उपरोक्त की चेकिंग करने पर वाहन में भिन्न रजिस्ट्रेशन नम्बर के अन्य 01 और नम्बर प्लेट प्राप्त हुए जिसका नंबर UP78FR8101 मिला जिसके बारे में चालक उपरोक्त से पूछने पर बताया कि साहब यह नम्बर प्लेट फर्जी है। हम लोग बिहार में बिहार का नम्बर तथा उ0प्र0 में उत्तर प्रदेश का नम्बर गाड़ी पर लगाकर पुलिस को चकमा देते रहते है। तथा

2-क्रेटा कार की चेकिंग किया गया तो क्रेटा पर वाहन संख्या BR07AE0353 लगा है जिसका गेट व डिग्गी पीछे से खोलवाकर चेकिंग किया गया तो उसमें कार्टून से ढके अंग्रेजी शराब की बोतले भरी पड़ी मिली जिसे निकाल कर चेक किया गया तो कुल 234 बोतल अंग्रेजी शराब (जिसमें रॉयल स्टैग की 73 बोतल प्रत्येक में 750ML मात्रा 54.75 लीटर तथा ब्लेन्डर की 60 बोतल प्रत्येक 750 ML मात्रा 45 लीटर तथा रेड लेबल की 40 बोतल प्रत्येक में 750ML मात्रा 30 लीटर तथा बलेन्टाइन्स की 54 बोतल प्रत्येक 750ML मात्रा 40.5 लीटर तथा चिवास रीगल 7 बोतल प्रत्येक 750 ML मात्रा 5.25 लीटर) बरामद हुआ।

जांच एवं पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि दो वाहनों में से एक वाहन संख्या- DL10CT4102 (क्रेटा) को दिल्ली से चोरी किए है तथा नम्बर प्लेट बदल कर हरियाणा से शराब खरीदकर उक्त वाहन से बिहार में शराब विक्रय कर लाभ अर्जित करते है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-55/2024 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1.मु0अ0सं0-55/2024 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2) बी0एन0एस0 व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 7455/2024 थाना कीर्ति नगर वेस्ट दिल्ली (वाहन चोरी के सम्बन्ध में)

बरामदगीः-

1.534 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब (कुल मात्रा 400.5 लीटर) कुल कीमत लगभग 06 लाख रुपये

2.दो वाहन (01 क्रेटा व 01 टाटा सफारी स्ट्रोम)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1.निरंजन कुमार पासवान पुत्र राजाराम पासवान उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम चिन्दुवारा थाना थरथरी जिला नालंदा बिहार

2.अरविन्द पासवान पुत्र सुग्रीव पासवान उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम चिन्दुवारा थाना थरथरी जिला नालंदा बिहार

3.शनि कुमार पुत्र लाला प्रसाद उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम कंकणबाग कुम्भार टोली थाना कंकणबाग जिला पटना बिहार

4.दीपक कुमार पुत्र विष्णु प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कंकणबाग कुम्भार टोली थाना कंकणबाग जिला पटना बिहार

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 हरिनारायण पटेल थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.स्वाट टीम प्रभारी/सर्विलांस प्रभारी उ0नि0 आशीष मिश्रा जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 रविकान्त चौहान चौकी प्रभारी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

4.हे0का0 देवेन्द्र सिंह चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

5.का0 लक्ष्मण प्रसाद चौकी रामपुर थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

6.हे0का0 दिलीप राम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

7.हे0का0 राणाप्रताप सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

8.हे0का0 विजेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

9.हे0का0 आनन्द सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

10.का0 नीरज मिश्रा सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

11.का0 अजीत सिंह सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

12. का0 गणेश तिवारी सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

13. का0 संदीप कुमार सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

14. का0 मनोज यादव सर्विलांस टीम जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

□ थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा एक बोलेरो से परिवहन की जा रही 432 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 तस्कर किया गया गिरफ्तार।
□ बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 3,00,000/-रु.।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे के अवैध शराब/मादक के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध दिलीप कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान ग्राम बरठी कमरौर के पास एनएच 02 हाईवे से एक सफेद रंग की बोलरो से अंग्रेजी शराब आफिसर च्वाईन्स ओरिजिनल व्हीस्की फ्रुटी कुल 50 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 पीस कुल 2400 पीस कुल 432 लीटर शराब बरामद किया गया साथ ही एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु.अ.सं. 202/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अंग्रेजी शराब को जनपद चन्दौली से खरीदकर बिहार प्रांत में ऊँचे दामों बेचने के लिए ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
विकास सिंह उर्फ खडखड पुत्र धीरेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भुसीकृतपुरवा थाना शहाबगंज,जिला चन्दौली उम्र करीब 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 202/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम

बरामदगी का विवरण-
1.आफिसर च्वाईन्स ओरिजिनल व्हीस्की फ्रुटी कुल 50 पेटी प्रत्येक पेटीमें 48 पीस कुल 2400 पीस प्रत्येक पीस 180 एम.एल. कुल 432 लीटर
2.01 बोलेरो वाहन
3 तीन फोन (एक वीवो कम्पनी, एक एप्पल आईफोन तथा एक नोकिया की पैड मोबाइल)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण–
1.दिलीप श्रीवास्तव निरीक्षक थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2.उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3.का. विष्णु दत्त प्रजापति थाना सैयदराजा

कोतवाली चन्दौली जनपद चन्दौली

थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा 14 राशि गोवंशीय पशुओं को किया बरामद।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे गोतस्करी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक, विनय कुमार सिह व क्षेत्राधिकारी सदर, राजेश कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में चन्दौली पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान के दौरान दो पिकअप से कुल 14 राशि गोवंश बरामद किये गये।

दिनाँक 13.11.2024 को थाना चन्दौली पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 02 पिकअप से गोवंशो को लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पं0 बंगाल ले जाया जा रहा है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान दौरान चेकिंग स्थान से कुछ दूरी पहले ही एकान्त स्थान पर दोनों पिकअप में से कुल 14 राशि गोवंशों को बरामद किया गया।

1- पहली पिकअप न0 UP65MT6830 जिसमे हरे कलर का तिरपाल बधा हुआ है। जिसको खोलकर चेक किया गया तो कुल 7 राशि गोवंश बरामद हुए।

2- 2-दुसरी पिकअप जिसमें UP67AT6746 का हार्ड सिक्योटी न- प्लेट लगा हआ है। पिछे ढ़ाले में लगे पटरे को खोलकर देखा गया तो कुल 7 राशि गोवंश बरामद हुये।

बरामदगी के आधार थाना चन्दौली पर मु.अ.स. 271/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि. पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु.अ.स. 271/2024 धारा 3/5ए/8/5 गोवध नि. अधि. व 11 पशु क्रू. नि. अधि.थाना व जिला चन्दौली

विवरण बरामदगी –

1. 14 राशि गोवंशीय पशु
2. 02 पिकअप नं. UP65MT6830 व UP67AT6746

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी नवीन मण्डी थाना व जिला चन्दौली
2. हे0का0 सुनील सिंह थाना व जिला चन्दौली
3. का. विजय कुमार थाना व जिला चन्दौली।
4. का0 रुपेश दुबे थाना व जिला चन्दौली।

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 876 वाहनों का चालान करते हुए 12,41,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।
□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट, नो पार्किंग, तीन सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेन्स व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर सबसे अधिक की गयी कार्यवाही

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 876 वाहनों का चालान करते हुए 12,41,500/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-476
2.नो पार्किंग-117
3.तीन सवारी-57
4.सीट बेल्ट-20
5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-24
6.विधि नियमों का उल्लंघन (179)-35
7.गलत नंबर प्लेट-29
8.सेक्शन 3 तथा 4 का उल्लघंन-11
9.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-10
10.मांगने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-56
11.मांगने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शर्तों का उल्लंघन-14
12.वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना-03

13.नो एंट्री का उल्लंघन करना-10

14.मदिरा पीकर वाहन चलाना-04

15.सीज-02

16.प्रेशर हॉर्न बेवजह हॉर्न बजाना-04

17.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-01

18.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-03

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 14.11.2024 को यातायात माह नवंबर में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-876

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-12,41,500/-₹ (बारह लाख एकतालिस हजार पाच सौ रुपए)